वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	हिन्दी	संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र

टिप्पणी:- 1- निरीक्षक कृपया उपरोक्त प्रतिबन्धों के पूर्ण होने व कक्षा 11 में प्रवेश हेतु 40 छात्रों के उपलब्ध होने पर ही कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय,

अति० सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद, दिनांक १९७ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका आजमगढ़

(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक मा० गोरखपुर

(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(४) हाई स्कूल परीक्षा विभाग

(५) इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग (संस्थागत)

(६) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ

अति० सचिव।

पी० एस० यू० पी०—४८ मा० शि० प०—७-९-७१—१०,००० (हिन्दी बुक)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	हिन्दी	संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र

टिप्पणी:- 1- निरीक्षक कृपया उपर्युक्त प्रतिबन्धों के पूर्ण होने व कक्षा 11 में प्रवेश हेतु 40 छात्रों के उपलब्ध होने पर ही कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय,

अति० सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद, दिनांक १९७ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका आजमगढ़

(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक मा० गोरखपुर

(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(४) ~~हाई स्कूल परीक्षा विभाग~~

(५) इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग (संस्थागत)

(६) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ

अति० सचिव।

पी० एस० यू० पी०—४८ सा० शि० ४०—७-५-७३—१०,००० (हिन्दी ब्रुक)

(७) पाँच सौ रुपये की उपस्कर सामग्री तथा (१००) रु० की अतिरिक्त पुस्तकें तुरन्त क्रय की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
माध्यमिक	हिन्दी, गणित	अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, कला, नागरिकशास्त्र

टिप्पणी :- निरीक्षक कृपया प्रतिबन्ध ७ की पूर्ति तथा कम से कम २५ छात्र उपलब्ध होने पर ही कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

२८-९-६८

उपसचिव।

२८।९।६८

पृष्ठांकन संख्या आई० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद, दिनांक १९६७ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ । आजमगढ़

(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक । गोरखपुर

(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(४) हाई स्कूल परीक्षा विभाग ।

~~(५) इन्टरमीडिएट परीक्षा विभाग~~ ।

~~(६) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ~~ ।

अतिरिक्त सचिव ।

(७) पाँच सौ रुपये की हस्ताक्षर जमानत तथा (७००) कुल की अतिरिक्त ... फुटकौरुन्त प्राप्त की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	हिन्दी, गणित	अंग्रेजी, संस्कृत: इतिहास, कला, नागरिकशास्त्र

टिप्पणी :- निरीक्षक कृपया प्रतिबन्ध ७ की पूर्ति तथा कम से कम २५ छात्र उपलब्ध होने पर ही संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) २८-९-६८

अति० सचिव।

२८/९/६८

पृष्ठांकन संख्या आई० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद, दिनांक १९६७ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। आजमगढ़

(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक। गोरखपुर

(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(४) हाई स्कूल परीक्षा विभाग।

~~(५) इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग।~~

~~(६) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ।~~

अतिरिक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०—२३६ एच० एस० आई०—१९६९—२५,००० (हिन्दी ब्लॉक)

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,

बालक बालिका उ0मा0विद्यालय, राम बन कुटी,
कक्षा तालुका पत्रालय - कक्षा, आजमगढ़

मा—१९

पत्र संख्या आई० बी०/मान्यता/ 95430 इलाहाबाद, दिनांक 6-4-1976।

विषय—आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन/सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, अधिनियम ऐक्ट की धारा ७ (४), ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९७ ८ की हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (अर्थात अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(२) इस आदेश-पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

~~(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।~~

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय । इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ।

(ख) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(ग) 20 कमरों के अतिरिक्त 2 और कमरे और बनाये जायें ।

(घ) निर्धारित मूल्य के शिक्षा सामग्री तथा पुस्तकालय की व्यवस्था पूर्ण की जाये ।

(ङ०) यदि मान्यताहेतु आपके द्वारा प्रेषित विवरण में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त करदी जावेगी ।

(क्रमशः)